:: महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर ::

क्रमांक लेखा/वेतन बिल/विविध/2020–21/26605-90 दिनांक 07-8-2020

परिपत्र

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 की उपधारा (1) के अनुसार **"Any person responsible for paying any income chargeable under the head "Salaries" shall, at the time of payment, deduct income-tax on the amount payable at the average rate of income-tax computed on the basic of the rate in force for the financial year in which the payment is made on the estimated income of the assessee under this head for that financial year"** यह देखने में आया है कि कतिपय आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा उक्त नियम की पालना नहीं की जा रही है।

प्रत्येक आहरण वितरण अधिकारी का यह दायित्व है कि किसी भी कार्मिक को मासिक वेतन का भुगतान करते समय कार्मिक को देय वेतन पर प्रवृत्त दर अनुसार आयकर की नियमानुसार कटौती कर लेवें। सामान्य अर्थो में कार्मिक को पूर्ण वित्तिय वर्ष में देय अनुमानित वेतन राशि (भत्तो सहित) पर उस वर्ष में देय आयकर की गणना कर उसे 12 माह में समान रूप से विभाजित कर कटौती की जावे। यदि किसी प्रकार के एरियर आदि का भुगतान वर्ष के दौरान कार्मिक को किया जाता है तो उस पर भी नियमानुसार आयकर की कटौती संबंधित बिल से ही कर ली जावे। अतः कार्मिको के वेतन बिल आहरित करते समय उस माह तक की देय आय–कर राशि की कटौती सुनिश्चित की जावे, यदि किसी कारणवश पूर्व में कम कटौती की गई हो तो उसे आगामी माह के वेतन बिल में समायोजित कर ली जावे।

इस संबंध में यह भी ध्यातव्य है कि समय पर आयकर की नियमानुसार कटौती न होने से कार्मिक के स्थानान्तरण की स्थिति में आयकर की कटौती निर्धारित राशि से कम होने पर आयकर की टीडीएस विवरणी दाखिल करते समय अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है तथा फार्म–16 जारी करने में अनावश्यक विलम्ब उत्पन्न होता है। साथ ही संदेय रकम पर आयकर की कटौती प्रवृत दरों के आधार पर संगणित आयकर से कम करने से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 की उपधारा (1) का उल्लंघन भी होता है।

अतः समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीन कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन आहरित करते समय उस माह तक की देय आयकर राशि की कटौती सुनिश्चित करें। साथ ही समस्त कार्मिकों को भी निर्देशित किया जाता है कि वे वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ही अथवा नव पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करते ही संबंधित वित्तीय वर्ष हेतु अपनी संभावित आय व संभावित कर देयता (समस्त कर छूट संबंधी विवरण सहित) की सूचना अपने आहरण एवं वितरण अधिकारी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें जिससे आयकर की कटौती की सही–सही गणना की जा सके एवं नियमों के उल्लंघन से बचा जा सके।

(मालिनी अग्रवाल)
अति.महानिदेशक कारागार
राजस्थान,जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. उप महानिरीक्षक कारागार रेंज, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर।
2. समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक,(आहरण वितरण अधिकारी) केन्द्रीय/जिला कारागृह, राजस्थान।
3. वित्तीय सलाहकार, महानिदेशालय कारागार, राजस्थान,जयपुर।
4. अधीक्षक, महिला बंदी सुधारगृह, जयपुर।
5. समस्त अधीक्षक, महानिदेशालय कारागार, राजस्थान, जयपुर।
6. अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागार, राजस्थान, अजमेर।
7. अधीक्षक, विशेष केन्द्रीय कारागृह, श्यालावास, दौसा।
8. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान,अजमेर।
9. आहरण एवं वितरण अधिकारी, महानिदेशालय कारागार, राजस्थान,जयपुर।
10. निजी सचिव, महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान,जयपुर।
11. निजी सहायक, अति.महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर।
12. निजी सहायक, महानिरीक्षक कारागार राजस्थान,जयपुर।
13. लेखाधिकारी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान,जयपुर।
14. लेखाकार (भुगतान) को प्रेषित कर लेख है कि मुख्यालय के प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी के वेतन की वार्षिक गणना कर नियमानुसार आयकर की कटौती किया जाना सुनिश्चित करावें।
15. समस्त कर्मचारी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान,जयपुर।
16. रक्षक पत्रावली।

अति.महानिदेशक कारागार
राजस्थान, जयपुर